संख्या-2302/14-2-2015

प्रेषक

सुनील पाण्डेय
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
केन्द्रीय भवन पंचम तल सेक्टर एच अलीगंज विस्तार लखनऊ।

वन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24 अगस्त 2015

विषय:- जनपद गौतमबुद्रगर में डी०एफ०सी०सी० द्वारा विकसित किये जा रहे वेस्टर्न कॉरिडोर के निर्माण हेतु 11.809 हे० आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3570 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-8बी/यूपी/07/08/2015/एफसी/1767 दिनांक 27.03.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गौतमबुद्रगर में डी०एफ०सी०सी० द्वारा विकसित किये जा रहे वेस्टर्न कॉरिडोर के निर्माण से सम्बन्धित प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-217/14-2-2015-800(7)/2015 िदनांक09.01.2015 प्रेषित किया गया। तत्पश्चात उक्त वर्णित पत्र दिनांक 23-07-2015 द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में 10 आपत्तियां इंगित करते हुए उनके निराकरण किये जाने की अपेक्षा की गयी।

3- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी ने अपने पत्र संख्या-433/11-सी-गौतमबुद्धनगर दिनांक 22-8-2015 के द्वारावर्णित आपत्तियों का निराकरण करते हुये प्रश्नगत प्रकरण में पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव से जनपद फरीदाबाद से सम्बन्धित वनभूमिहस्तान्तरण का प्रस्ताव अलग करते हुये जनपद गौतमबुद्धनगरमें डी०एफ०सी०सी० द्वारा विकसित किये जा रहे वेस्टर्न कॉरिडोर के निर्माण हेतु 11.809 हे० आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3570 वृक्षों के पातन की अनुमति विषयक संशोधित प्रस्ताव कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया है।

4- विषयगत प्रकरण की 10 आपत्तियों के निराकरण से सम्बन्धित सूचनायें/सुसंगत अभिलेख संलग्नकर प्रेषित करते हुये अनुरोध है कि कृपया जनपद गौतमबुद्धनगरमें डी०एफ०सी०सी० द्वारा विकसित किये जा रहे वेस्टर्न कॉरिडोर के निर्माण हेतु 11.809 हे० आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3570 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गतकृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय

(सुनील पाण्डेय)
सचिव।

संख्या-2302(1)/14-2-2015-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० शासन।
2- वन संरक्षक, मेरठ वृत्त मेरठ।
3- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
4- प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, ई-1 सेक्टर 01 नोएडा।
5- अति० मुख्य परियोजना प्रबन्धक, डेडीकेटेड फ्रेन्ट कॉरीडोर कार्पोरेशन इण्डिया लि०, नोएडा यूनिट डी-89 फर्स्ट फलोर सेक्टर नोएडा उत्तर प्रदेश – 201301
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।

shasanadesh.up.nic.in/oo/intra